

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

पीठासीन अधिकारी-डॉ. अमित यादव, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या- 124/2023

जी.सी.एम.एम. पोर्टल नम्बर- 2023/142

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
बैंक ऑफ बडौदा, शाखा कार्यालय- सुजानगढ, (राज.) में स्थित है, जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री प्रशान्त झा		1. मैसर्स महादेव फिलिंग स्टेशन प्रो. श्री मोहन लाल-कुमावत उर्फ प्रजापत पुत्र महादेव प्रसाद प्रजापत पता- NH-65 रोही, ग्राम-जसवन्तगढ, तहसील लाडनूं, जिला नागौर, राजस्थान, पता-वार्ड नं. 21, नया बास रोड, कस्बा-सुजानगढ, जिला चुरू राजस्थान 2. श्रीमति सुमन देवी पत्नी मनोज कुमार प्रजापत 3. श्रीमति रतनी देवी पत्नी मोहन लाल प्रजापत 4. कृष्ण गोपाल पुत्र मोहन लाल प्रजापत 5. मनोज कुमार पुत्र मोहन लाल प्रजापत पता- वार्ड नं. 21, नया बास रोड, कस्बा- सुजानगढ, जिला चुरू राजस्थान

आदेश

दिनांक: 21/7/23

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ। जो दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/ ऋणी को ऋण राशि रुपये 1,85,50,000/- (अक्षरे एक करोड पिट्यासी लाख पचास हजार रुपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 29.12.2014 व आगामी दिनाकों में ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में सम्पत्ति - आवासीय सम्पत्ति प्लॉट खसरा नम्बर 1177/05, ग्राम- जसवंतगढ, NH-65 के समीप, तहसील लाडनूं, जिला नागौर, राजस्थान पर स्थित है, जो श्रीमति सुमन देवी पत्नी श्री मनोज कुमार प्रजापत के नाम से है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2902.94 वर्गगज (2428.11 वर्ग मीटर) है, चतुः सीमाएं-उत्तर में-खसरा नं. 1177/05 का शेष हिस्सा, दक्षिण में-श्रीमति सुमन देवी पत्नी श्री मनोज कुमार प्रजापत की भूमि और रास्ता, पूर्व में- श्री मनोज कुमार पुत्र श्री मोहन लाल प्रजापत की भूमि, पश्चिम में-श्री मोहन लाल पुत्र श्री महादेव प्रसाद प्रजापत की भूमि, जो प्रार्थी बैंक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एवं जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये।

अप्रार्थीगण/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैंक के नियमानुसार भुगतान नहीं चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को दिनांक 01.05.2023 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण खाता में बकाया रुपये 1,70,66,638.30/- (अक्षरे एक करोड सत्तर लाख छान्सठ हजार छः)



2  
जिला मजिस्ट्रेट  
नागौर

सौ अडतीस रुपये एवं पैसे तीस मात्र) दिनांक 01.05.2023 तक शेष देय है व आगे का ब्याज व खर्च सहित राशि बकाया निकलते हैं।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 04.05.2023 को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये परन्तु सूचना के पश्चात भी अप्रार्थीगण द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पत्ति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर-अन्दर ऋण राशि रुपये 1,70,66,638.30/- (अक्षरे एक करोड़ सत्तर लाख छान्सठ हजार छः सौ अडतीस रुपये एवं पैसे तीस मात्र) दिनांक 01.05.2023 तक शेष देय है व आगे का ब्याज व खर्च सहित राशि को जमा कराना था परन्तु ऋणी/अप्रार्थीगण ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को बंधक सम्पत्ति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैंक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैंक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैंक सिक्योरिटीज सम्पत्ति का विवरण :- आवासीय सम्पत्ति प्लॉट खसरा नम्बर 1177/05 ग्राम- जसवंतगढ, NH-65 के समीप, तहसील लाडनूं, जिला नागौर, राजस्थान पर स्थित है, जो श्रीमति सुमन देवी पत्नी श्री मनोज कुमार प्रजापत के नाम से है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2902.94 वर्गगज (2428.11 वर्ग मीटर) है, चतुः सीमाएं-उत्तर में-खसरा नं. 1177/05 का शेष हिस्सा, दक्षिण में-श्रीमति सुमन देवी पत्नी श्री मनोज कुमार प्रजापत की भूमि और रास्ता, पूर्व में- श्री मनोज कुमार पुत्र श्री मोहन लाल प्रजापत की भूमि, पश्चिम में-श्री मोहन लाल पुत्र श्री महादेव प्रसाद प्रजापत की भूमि, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डोक्यूमेन्टस का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थीगण से प्रार्थी बैंक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थीगण ने प्रार्थी बैंक से ऋण राशि रुपये 1,85,50,000/- (अक्षरे एक करोड़ पच्यासी लाख पचास हजार रुपये मात्र) ऋण सुविधा दिनांक 29.12.2014 व आगामी दिनाकों में प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आर्डिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार है:- प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विक्रय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर



25  
जिला मजिस्ट्रेट  
नागौर

अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा, उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा, और मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर - (क) उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 4 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमों को लेगा या लिवा सकेगा- या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय में आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानों को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध में पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते हैं कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष में बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व में सम्पत्ति - आवासीय सम्पत्ति प्लॉट खसरा नम्बर 1177/05, ग्राम- जसवंतगढ, NH-65 के समीप, तहसील लाडनूं, जिला नागौर, राजस्थान पर स्थित है, जो श्रीमति सुमन देवी पत्नी श्री मनोज कुमार प्रजापत के नाम से है, जिसका कुल क्षेत्रफल 2902.94 वर्गगज (2428.11 वर्ग मीटर) है, चतुः सीमाएं- उत्तर में- खसरा नं. 1177/05 का शेष हिस्सा, दक्षिण में- श्रीमति सुमन देवी पत्नी श्री मनोज कुमार प्रजापत की भूमि और रास्ता, पूर्व में- श्री मनोज कुमार पुत्र श्री मोहन लाल प्रजापत की भूमि, पश्चिम में- श्री मोहन लाल पुत्र श्री महादेव प्रसाद प्रजापत की भूमि, जो प्रार्थी बैंक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध में संबंधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपत्ति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे में हो तो उन दस्तावेजों को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौकें पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।



2  
(डॉ. अमित यादव)  
जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट  
जिला मजिस्ट्रेट  
नागौर